कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं
मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखंड, रांची

पत्रांक– 187(विविध)09-10/505 रांची, दिनांक– 16/7/09

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखंड, रांची।

विषय– मेसर्स रूंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की बोकना लौह एवं मैगनीज अयस्क खनन प्रोजेक्ट से संबंधित प्रस्ताव की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग– मेसर्स रूंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का पत्र RSPL/BD/Bokna/9-10/96, दिनांक 11.06.2009

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सर्वश्री रूंगटा सन्स प्राइवेट प्रा0 लि0 ने भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र संख्या J-11015/217/2008-1A.II (M), दिनांक 25.11.2008 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया है कि उनके खनन लीज एरिया के 10 कि0मी0 की दूरी के अंदर यदि कोई नेशनल पार्क, आश्रयणी, बायोस्फेयर रिजर्व, व्याघ्र/गज आरक्ष अथवा हाथी कोरीडोर हो तब उसे नक्शे पर दिखाते हुए भारत सरकार को अवगत कराया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा लीज एरिया दिखाते हुए 1: 50000 टोपोशीट नक्शा समर्पित किया गया है, जिसकी समीक्षोपरांत अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नवत् है :–

1. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित खनन लीज क्षेत्र सिंहभूम गज आरक्ष के कोर एरिया में अवस्थित है।

2. खनन लीज क्षेत्र की 10 कि0मी0 परिधि के अंतर्गत कोई नेशनल पार्क अथवा वन्य प्राणी आश्रयणी अवस्थित नहीं है।

3. नक्शें पर तीन गज कोरीडोर को दर्शा दिया गया है, जिनका नाम क्रमशः लेदाबेड़ा कोरीडोर, अंकुआ–अंबिया कोरीडोर एवं कारो–करमपदा कोरीडोर हैं। इन कोरिडोर्स का latitude एवं longitude नक्शे पर अंकित है। झारखंड राज्य में गज कोरीडोर को चिन्हित करने का कार्य एक स्वयंसेवी संस्था "वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली" के द्वारा किया गया है। इस कार्य में झारखंड वन विभाग के द्वारा भी सहयोग किया गया था। उपरोक्त स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रकाशित 'Right of Passage- Elephant Corridors of India' नामक पुस्तक में झारखंड राज्य के कुल 14 गज कॉरीडोर वर्णित हैं तथा इसी सूचना के आधार पर संलग्न नक्शे पर उपरोक्त तीन गज कोरीडोर को दर्शाया

गया है। विदित हो कि वन विभाग के द्वारा स्वतंत्र रूप से हाथी कोरीडोर की पहचान कर चिन्हित करने का कार्य नहीं किया गया है।

4. उपरोक्त जानकारी के अनुसार आवेदित खनन क्षेत्र के निकट अन्य कोई हाथी कोरीडोर अवस्थित नहीं है। उपरोक्त सभी तीन कोरीडोर विषयक खनन लीज क्षेत्र की सीमा से 10 कि0मी0 से अधिक दूरी पर अवस्थित हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शें पर वांछित सूचना अंकित कर दो प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। अनुरोध है कि इस सूचना से भारत सरकार को अवगत कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त

विश्वासभाजन

16/7

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखंड, रांची

D:\NIRAJ\Pccf Lett 2008\Pccf (wil)\Pccf_ED.doc